

साहेबगंज समाहरणालय
(जिला कल्याण कार्यालय)

—: अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :—

समाहरणालय, साहेबगंज स्थित कल्याण/पहाड़िया कल्याण अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में बर्तन की आपूर्ति की जानी है। इस क्षेत्र से संबंधित उत्पादनकर्ता/प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता फर्म/अधिकृत विक्रेता अपना निविदा निम्न वर्णित शर्तों के तहत तकनीकी एवं वित्तीय बीड दो अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद मुहरबंद लिफाफा में दिनांक-06.03.2019 के 02:00 बजे अपराह्न तक सभी प्रमाण पत्र, जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के साथ जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज में समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, साहेबगंज की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में खोला जाएगा।

निविदा से संबंधित पूरी जानकारी जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज के सूचना-पट पर तथा झारखण्ड सरकार के वेबसाइट www.sahibganj.nic.in पर देखा जा सकता है।

सामग्रियों की सूची :—

1. बर्तन :—			
क्रमांक	सामग्री का नाम	प्रकार	मात्रा
1.	डेग (अल्युमिनियम) ढक्कन सहित	25 KG 27 से 28 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
		10 KG 22 ईंच ब्यास	
		15 KG 23 ईंच ब्यास	
2.	डेकची (अल्युमिनियम) ढक्कन सहित	18 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
3.	हंडालियम कढ़ाही	24 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
4.	लोहे की कढ़ाही	24 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
5.	छोलनी (लोहे का)	03 फीट ब्यास का 04 ईंच पंजा वाला	प्रति किलोग्राम
6.	डब्बू (लोहे का)	06 ईंच ब्यास का 02 फीट वाला	प्रति किलोग्राम
7.	थाली (स्टेनलेश स्टील)	12 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
8.	कटोरा (स्टेनलेश स्टील)	06 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
9.	ग्लास (स्टेनलेश स्टील)	7.5 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
10.	लोटा (स्टेनलेश स्टील)	10 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
11.	जग (स्टेनलेश स्टील)		प्रति किलोग्राम

12.	गमला (स्टेनलेश स्टील)	22 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
13.	बाल्टी लोहे का (दर प्रति इंच)	—	प्रति इंच
14.	बाल्टी स्टेनलेश स्टील	12 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
15.	झंझरा बड़ा (लोहे का)	03 फीट का 06 ईंच ब्यास का पंजा	प्रति नग
16.	ड्राम (स्टेनलेश स्टील)	18, 20, 22 एवं 24 ईंच ब्यास	प्रति नग
17.	ड्राम (अल्युमिनियम) तीन सेट वाला	18, 20, 22 एवं 24 ईंच	प्रति नग
18.	चम्मच (स्टेन लेश स्टील)	—	प्रति दर्जन
19.	चम्मच (स्टेन लेश स्टील)	—	प्रति दर्जन
20.	हसुआ (बैठी) बड़ा	—	प्रति नग
21.	खल-मूसल (लोहा)	08 ईंच ब्यास 10 ईंच लम्बा	प्रति किलोग्राम
22.	स्कूल घंटी (पीतल)	12 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
23.	प्रेशर कुकर बड़ा (होकिंस)	6.5 लीटर	प्रति नग
		10 लीटर	प्रति नग
		14 लीटर	प्रति नग
24.	रोटी/पुड़ी मेकर	—	प्रति नग
25.	तावा (लोहे का)	24 से 30 ईंच ब्यास	प्रति किलोग्राम
26.	प्लास्टिक बाल्टी (मिलटन)	10 ईंच ब्यास	प्रति नग
		15 ईंच ब्यास	प्रति नग
		18 ईंच ब्यास	प्रति नग
27.	प्लास्टिक मग (मिलटन)	एक लीटर	प्रति नग
28.	प्लास्टिक जग (मिलटन)	2 लीटर	प्रति नग
29.	प्लास्टिक टब (मिलटन)	20 एवं 35 लीटर	प्रति नग
30.	अल्युमिनियम टब	38, 40 एवं 42 लीटर	प्रति नग
31.	बेलना-चकला	08 ईंच ब्यास	प्रति नग
32.	नाश्ता प्लेट (स्टेनलेश स्टील)	9 से 10 ईंच ब्यास	प्रति नग
33.	शीशा ग्लास	06 ईंच ब्यास	प्रति नग
34.	गैस चुल्हा (भट्टी वाला)	—	प्रति नग
35.	पंजा चम्मच (स्टेनलेश स्टील)	—	प्रति नग

36.	चाकू (ए0सी0ई0 कम्पनी)	—	प्रति नग
37.	झोल झाड़न	—	प्रति नग
38.	डस्टबिन छोटा	—	प्रति नग
39.	डस्टबिन बड़ा	2.5 फीट वाला	प्रति नग
40.	टॉर्च एवरेडी (तीन सेल) बैट्री सहित	—	प्रति नग
41.	स्टील गमला	—	प्रति नग
42.	इडली मेकर (अल्युमिनियम)	50 ईडली बनने का क्षमता वाला।	प्रति नग
43.	मिक्सर मशीन (बजाज)	750 वाट टूर्ड्रस्टर	प्रति नग
44.	सामग्री तौलने का इलेक्ट्रोनिक मशीन	क्षमता 20–25 किलोग्राम वाला	प्रति नग

निविदा की शर्तें :-

(A) तकनीकी निविदा :-

1. निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0 (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) जिला कल्याण पदाधिकारी के पदनाम से निम्न प्रकार प्लेज्ड कर देना होगा।

1. बर्तन —

2,00,000 /—,

2. निविदा के साथ निविदादाता को तकनीकी बीड लिफाफा (क) में जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता/फर्म का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र (Regular) की छायाप्रति, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 (कर निर्धारण वर्ष 2018–19) का आयकर रिटर्न कॉपी स्वअभिप्रमाणित देना अनिवार्य होगा। साथ ही पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति देना अनिवार्य होगा।
4. एकल दर से अधिक दर अंकित करने पर उक्त सामग्री दर की मान्यता नहीं दी जाएगी एवं उक्त सामग्री की दूसरे सुसंगत दर को अधिकतम दर होने पर भी प्राथमिकता दे दी जाएगी।
5. निविदादाता का नाम कहीं भी किसी भी आपूर्ति के मामले में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी शपथ पत्र/स्वच्छता प्रमाण पत्र निविदा के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार सामग्री का दर जी0एस0टी0 सहित होना चाहिए। अलग से आपूर्ति पर जी0एस0टी0 दर भुगतने नहीं होगा।


(B) वित्तीय निविदा :-

1. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना निविदा समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. (क) तकनीकी बीड एवं (ख) वित्तीय बीड को अलग-अलग लिफाफा में अपने पूर्ण पता एवं मुहर के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के पद नाम से वर्ष 2018-19 के लिए निविदा अंकित कर सीलबंद कर जमा करेंगे। सर्वप्रथम तकनीकी बीड लिफाफा क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा। तकनीकी अहर्ता प्राप्त निविदादाता को ही मुख्य निविदा (वित्तीय बीड) में शामिल किया जायेगा। सामग्री दर अंकन में किसी प्रकार का ओवरराईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को संबंधित आवासीय विद्यालयर/छात्रावासों में सामग्री पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय आदि के लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित होगी।
4. वित्तीय बीड के समय आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का नमूना भी क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(C) अन्य शर्तें :-

1. निविदा में ही सभी प्रकार का कर एवं हथालन समाविष्ट कर सामग्री दर अंकित करना होगा।
2. उपलब्ध आवंटन के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति प्राप्त की जाएगी।
3. आमंत्रित निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत तथा बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में देना होगा।
5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा संबंधित लिफाफा खोला जाएगा।
6. न्यूनतम दर को ही स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। अच्छी गुणवत्ता के मानक सामग्री के अनुरूप दर का निर्धारण होगा।
7. आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा।
8. आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता उत्तम (नमूना के अनुरूप) होना चाहिए।
9. आपूर्ति की गई सामग्री के विरुद्ध भुगतान गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर किया जायेगा।
10. समस्त प्रकार के कानूनी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार साहेबगंज जिला न्यायालय होगा।
11. निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय नियत स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं।
12. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किए जायेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।
12. सामग्री की विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज में किसी कार्य दिवस 10.30 बजे से 05.00 बजे तक निविदादाता सम्पर्क कर सकते हैं।


 परियोजना निदेशक,
 आई0टी0डी0ए0, साहेबगंज।

**साहेबगंज समाहरणालय
(जिला कल्याण कार्यालय)**

—: अति अल्पकालीन निविदा :—

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए साहेबगंज जिलान्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण करने के लिए दिनांक -06.03.2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी तिथि को 3:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं। निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफे में सभी प्रमाण पत्र, जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय निविदा लिफाफा में सामग्रियों का दर होगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा से संबंधित लिफाफा खोला जायेगा।

निविदा से संबंधित पूरी जानकारी जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज के सूचना-पट पर तथा जिला के अधिकारीक वेबसाईट www.sahibganj.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. खाद्य सामग्री :-		
क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	चावल उसना (सरना)	प्रति किलोग्राम
2.	चावल उसना (लम्बा दाना)	प्रति किलोग्राम
3.	अरवा चावल (कतरनी)	प्रति किलोग्राम
4.	अरहर दाल	प्रति किलोग्राम
5.	मसूर दाल	प्रति किलोग्राम
6.	मूंग दाल	प्रति किलोग्राम
7.	उरद दाल	प्रति किलोग्राम
8.	चौरठ	प्रति किलोग्राम
9.	चना दाल	प्रति किलोग्राम
10.	चूड़ा (उसना)	प्रति किलोग्राम
11.	चना गोटा	प्रति किलोग्राम
12.	काबुली चना	प्रति किलोग्राम
13.	गुड़ (ढेला)	प्रति किलोग्राम
14.	आटा	प्रति किलोग्राम
15.	प्याज	प्रति किलोग्राम
16.	कोयला	प्रति क्वींटल
17.	लकड़ी जलावन हेतु	प्रति क्वींटल
18.	गोयठा	प्रति सैकड़ा

19.	दियासलाई	प्रति पैकेट (AIM)
20.	सरसो तेल	प्रति टिन (15 किलो)– गोपाल
21.	धनिया खड़ा	प्रति किलोग्राम
22.	धनिया पाउडर (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
23.	जीरा खड़ा	प्रति किलोग्राम
24.	जीरा पाउडर (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
25.	सरसो–काला	प्रति किलोग्राम
26.	सरसो–पीला	प्रति किलोग्राम
27.	गोल मिर्च खड़ा	प्रति किलोग्राम
28.	गोल मिर्च पाउडर (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
29.	हल्दी खड़ा	प्रति किलोग्राम
30.	हल्दी पाउडर (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
31.	लाल मिर्च खड़ा	प्रति किलोग्राम
32.	लाल मिर्च पाउडर (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
33.	रिफाईन तेल (फॉर्चुन)	प्रति लीटर
34.	आयोडिनयुक्त टाटा नमक	प्रति किलोग्राम
35.	नारियल तेल (निहार)	100 ग्राम
36.	पापड़ (लिज्जत / पंजाबी)	प्रति पैकेट
37.	चना बेसन	प्रति किलोग्राम
38.	नारियल झाड़ू	प्रति पीस
39.	नील	प्रति किलोग्राम
40.	तेजपात	प्रति किलोग्राम
41.	पंचफोरन	प्रति किलोग्राम
42.	गरम मशाला (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
43.	मिश्रित मशाला (गोल्डी)	प्रति किलोग्राम
44.	लहसुन	प्रति किलोग्राम
45.	खस्सी का मांस	प्रति किलोग्राम
46.	मछली रेहू	प्रति किलोग्राम
47.	मुर्गी का अण्डा (फॉर्म)	प्रति दर्जन
48.	चिकन मांस (फॉर्म)	प्रति किलोग्राम
49.	फिनाइल	प्रति लीटर
50.	रिन साबुन	प्रति पीस (250 ग्राम)
51.	डिटरजेंट व्हील पाउडर	प्रति किलोग्राम

52.	लाइफ ब्वाय साबुन	प्रति पीस (120 ग्राम)
53.	लक्स साबुन	प्रति पीस (100 ग्राम)
54.	सोयाबीन बड़ी (न्यूट्रिला)	प्रति किलोग्राम
55.	रसगुल्ला	प्रति पीस
56.	जलेबी	प्रति किलोग्राम
57.	समोसा	प्रति पीस
58.	मूंगफली	प्रति किलोग्राम
59.	सूजी	प्रति किलोग्राम
60.	चीनी	प्रति किलोग्राम
61.	दूध (खुला)	प्रति लीटर
62.	स्लाईस ब्रेड	प्रति पैकेट
63.	मक्खन (अमूल्या)	500 ग्राम
64.	टूथ पेस्ट (पेप्सोडेण्ट / कॉलगेट)	100 ग्राम
65.	टूथ ब्रश (पेप्सोडेण्ट / कॉलगेट)	प्रति पीस
66.	जीभी	प्रति पीस
67.	पनीर	प्रति किलोग्राम
68.	बटर	प्रति किलोग्राम
69.	घी	प्रति किलोग्राम
70.	किसमीस	प्रति किलोग्राम
71.	काजू	प्रति किलोग्राम
72.	पिस्ता बादाम	प्रति किलोग्राम
73.	हॉर्लिक्स	प्रति किलोग्राम
74.	चीनी (ताज)	प्रति किलोग्राम
सभी प्रकार के सब्जी :-		
75	आलू	प्रति किलोग्राम
76	भिन्डी	प्रति किलोग्राम
77	नेनुआ	प्रति किलोग्राम
78	पपीता	प्रति किलोग्राम
79	कुंदरी	प्रति किलोग्राम
80	कौकरा (खेखसा)	प्रति किलोग्राम
81	बीन	प्रति किलोग्राम
82	कद्दू	प्रति किलोग्राम
83	मूली	प्रति किलोग्राम

84	बंघ गोभी	प्रति किलोग्राम
85	फूल गोभी	प्रति किलोग्राम
86	करेला	प्रति किलोग्राम
87	बैंगन	प्रति किलोग्राम
88	झिंंगली	प्रति किलोग्राम
89	टमाटर	प्रति किलोग्राम
90	गाजर	प्रति किलोग्राम
91	खीरा	प्रति किलोग्राम
92	साग आदि समयानुसार	प्रति किलोग्राम
93	परवल	प्रति किलोग्राम
94	कटहल	प्रति किलोग्राम
95	सीम	प्रति किलोग्राम
96	मटर छेमी	प्रति किलोग्राम
97	शिमला मिर्च	प्रति किलोग्राम
98	कोहड़ा	प्रति किलोग्राम
99	पालक साग	प्रति किलोग्राम
100	लाल साग	प्रति किलोग्राम
सभी प्रकार के फल :-		
101	सेब	प्रति किलोग्राम
102	संतरा	प्रति किलोग्राम
103	अंगुर	प्रति किलोग्राम
104	आम	प्रति किलोग्राम
105	केला चिनियाँ	प्रति दर्जन
106	केला सिंगापुरी,	प्रति दर्जन
107	नींबू	प्रति पीस

निविदा की शर्तें :-

(A) तकनीकी निविदा :-

1. निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एन0एस0सी0 (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र) जिला कल्याण पदाधिकारी के पदनाम से निम्न प्रकार प्लेज्ड कर देना होगा।

1. खाद्य सामग्री-

2,50,000/-

2. निविदा के साथ निविदादाता को तकनीकी बीड लिफाफा (क) में जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
3. आपूर्तिकर्ता/फर्म का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र (Regular) की छायाप्रति, वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) का आयकर रिटर्न कॉपी स्वअभिप्रमाणित देना अनिवार्य होगा। साथ ही पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति देना अनिवार्य होगा।
4. एकल दर से अधिक दर अंकित करने पर उक्त सामग्री दर की मान्यता नहीं दी जाएगी एवं उक्त सामग्री की दूसरे सुसंगत दर को अधिकतम दर होने पर भी प्राथमिकता दे दी जाएगी।
5. निविदादाता का नाम कहीं भी किसी भी आपूर्ति के मामले में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए। तत्संबंधी शपथ पत्र/स्वच्छता प्रमाण पत्र निविदा के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
7. जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार सामग्री का दर जी0एस0टी0 सहित होना चाहिए। अलग से आपूर्ति पर जी0एस0टी0 दर भुगतये नहीं होगा।
8. खाद्य सामग्री निविदादाता को वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) का अंकेक्षण प्रतिवेदन आयकर अधिनियम की धारा 44AB के अंतर्गत देना अनिवार्य है, जिसमें वार्षिक Turnover 20000000.00 (दो करोड़) हो।
9. निविदा के साथ-साथ माप-तौल एवं बाजार समिति का अद्यतन अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
10. खाद्य सामग्री के लिए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत Food Safety License की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।


(B) वित्तीय निविदा :-

1. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना निविदा समिति के समक्ष लाना अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा दर एवं नमूना मान्य नहीं होगा एवं उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. (क) तकनीकी बीड एवं (ख) वित्तीय बीड को अलग-अलग लिफाफा में अपने पूर्ण पता एवं मुहर के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के पद नाम से वर्ष 2018-19 के लिए निविदा अंकित कर सीलबंद कर जमा करेंगे। सर्वप्रथम तकनीकी बीड लिफाफा क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा। तकनीकी अहर्ता प्राप्त निविदादाता को ही मुख्य निविदा (वित्तीय बीड) में शामिल किया जायेगा। सामग्री दर अंकन में किसी प्रकार का ओवरराईटिंग स्वीकार्य नहीं होगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को संबंधित आवासीय विद्यालयर/छात्रावासों में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सामग्री पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय आदि के लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित होगी।

4. वित्तीय बीड के समय आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का नमूना भी क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(C) अन्य शर्तें :-

1. निविदा में ही सभी प्रकार का कर एवं हथालन समाविष्ट कर सामग्री दर अंकित करना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को उनके विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने पर ही की जाएगी। इसके लिए विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता का किसी भी प्रकार का हरजाना या भरपाई का दावा मान्य नहीं होगा।
3. आमंत्रित निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत तथा बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में देना होगा।
5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा संबंधित लिफाफा खोला जाएगा।
6. न्यूनतम दर को ही स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा। अच्छी गुणवत्ता के मानक सामग्री के अनुरूप दर का निर्धारण होगा।
7. आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर सामग्री की आपूर्ति करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा।
8. आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता उत्तम (नमूना के अनुरूप) होना चाहिए।
9. आपूर्ति की गई सामग्री के विरुद्ध भुगतान गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर किया जायेगा।
10. समस्त प्रकार के कानूनी कार्रवाई का क्षेत्राधिकार साहेबगंज जिला न्यायालय होगा।
11. निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय नियत स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं।
12. निविदा के आधार पर स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ही मान्य होगा।
13. सामग्रियों का स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
14. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा।
15. सामग्री की विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज में किसी कार्य दिवस 10.30 बजे से 05.00 बजे तक निविदादाता सम्पर्क कर सकते हैं।


परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0, साहेबगंज।